महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-**101/2017/2646/33-3-2017-207/2017**

प्रेषक,

जितेन्द्र बहादुर सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,

उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-**3** लखनऊ दिनांक: **10** नवम्बर,**2017**

विषय: पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जाने वाली धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं वित्तीय अनियमितता की जांच करने हेतु पंचायतीराज विभाग के लिए गठित टी**0**ए**0**सी**0** की जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-**90/2017/2335/ 33-3-2017-207/2017** दिनांक **11.10.2017** की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जाने वाली धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं वित्तीय अनियमितता की जांच करने हेतु पंचायतीराज विभाग के लिए एक स्वतंत्र टी**0**ए**0**सी**0** का गठन उक्त शासनादेश दिनांक **11.10.2017** द्वारा करते हुए उक्त टी**0**ए**0**सी**0** से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों की जांच कराकर जांच आख्या **15** दिन के अन्दर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। किन्तु एक माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी जांच आख्या अभी भी प्रतीक्षित है।

2- अतः अनुरोध है कि जांच आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)

विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in